न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारीः— उम्मेदी लाल मीना (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या :— 44 / 2025

स्टेट जरिये श्री रफीक मोहम्मद, खाद्य सुरक्षा अधिकारी
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ़

—:बनामः—

अप्रार्थीः—1
अमित कुमार गर्ग पुत्र महेन्द्रपाल गर्ग (मालिक एवं विक्रेता)
मैसर्सः—प्रिन्स मेडिकोज, न्यू मेडिसिन मार्केट, हनुमानगढ़ टाउन, जिला हनुमानगढ़
निवासीः—हाउस नं. 16—17, बाबा श्याम सिंह कॉलोनी, पीरखाना रोड़, हनुमानगढ़ टाउन, जिला हनुमानगढ़।

अप्रार्थीः—2
प्रताप राम आईलानी पुत्र प्रहलाद राय
निवासीः—वार्ड नं. 20, सुभाष चौक, कलालों का मोहल्ला, हनुमानगढ़ टाउन, जिला हनुमानगढ़।

अप्रार्थीः—3
मैसर्सः—नोबल हैल्थकेयर, प्लॉट नं. 410, फर्स्ट फलोर बरवाला रोड़, गांव सयैदपुरा, जिला मोहाली, पंजाब।

—अप्रार्थीयान

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 (2) (2) एवं धारा 52 एवं 58

उपस्थितः—

1. श्री सुदेश कुमार गर्ग, खाद्य सुरक्षा अधिकारी राज्य पक्ष।
2. श्री अरूण शर्मा, अभिभाषक अप्रार्थी—1 एवं अप्रार्थीयान स्वयं।

—:निर्णयः—

दिनांक :—30.06.2025

प्रार्थी श्री रफीक मोहम्मद, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री रफीक मोहम्मद दिनांक 07.04.2023 को समय सायं 04.00 बजे मय साथी टीम व समान के साथ वास्ते खाद्य पदार्थ दुकान निरीक्षण एवं नमूनीकरण मैसर्सः—प्रिन्स मेडिकोज, न्यू मेडिसिन मार्केट, हनुमानगढ़ टाउन, जिला हनुमानगढ़ पर पहुंचे। वहां पर अमित कुमार गर्ग पुत्र महेन्द्रपाल गर्ग (मालिक एवं विक्रेता) निवासी—हाउस नं. 16—17, बाबा श्याम सिंह कॉलोनी, पीरखाना रोड़, हनुमानगढ़ टाउन, जिला हनुमानगढ़ उपस्थित मिला। उक्त विक्रेता के पास आमजन के बेचान वास्ते रैक में Fepact Syp. (Impect Remidies) तादाद करीब 13 X 150 एम.एल. रखे हुये थे। जिसमें खाद्य सुरक्षा अधिकारी को मिलावट का शक होने पर विक्रेता से 04 X 150 एम.एल. Fepact Syp. (Impect Remidies) नमूना जांच वास्ते क्रय कर लिया। मौके पर ही विक्रेता को उक्त Fepact Syp. (Impect Remidies) के खरीद मूल का 336/—रूपये का नगद भुगतान किया तथा माल खरीद रसीद बनवाकर ली। जिस पर विक्रेता, गवाहान एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर है। माल खरीद रसीद/कैश मीमो परिवाद संग संलग्न है। प्रार्थी द्वारा सैम्पल लेने से पूर्व फार्म नं 5 ए की प्रति पर नोटिस देकर यह बता दिया कि नमूना वास्ते जांच लिया गया है। फार्म 5 ए पर विक्रेता तथा गवाहान ने पढ़कर, समझकर एवं सही मानकर हस्ताक्षर किये तथा तस्दीक कर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फार्म नं. 5 ए की प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खरीदशुदा Fepact Syp. (Impect Remidies) 04 X 150 मिलीलीटर वजनी पर चार लेबल तैयार कर लेबल पर विक्रेता एवं गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर कर लेबल स्लिप कोड नं. एके—2572 मिन पर दर्ज कर चारों सिरप पर चिपकाया। प्रत्येक सिरप को मोटे खाकी कागज में लपेटा ऊपर से नीचे मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ़ एवं जिला अभिहित अधिकारी, हनुमानगढ़ द्वारा हस्ताक्षरित पेपर स्लिप कोड नं. एके—3350 मिन पर दर्ज कर चारों सिरप पर चिपकाया। प्रत्येक सिरप को नियमानुसार मोटे सफेद धागे से बांधा व चार—चार जगह से सील चपड़ी किया। सील्ड नमूने पर विक्रेता एवं गवाहन के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। चारों नमूना भागों को खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने कब्जे में लिया। समस्त की गई कार्यवाही की मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की गई, जिस पर विक्रेता एवं गवाहान को समझा व सुनाकर हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा कार्यालय पहुंचकर फार्म नं. 06 की प्रतियां तैयार की एवं प्रत्येक फार्म पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया गया था। इसके पश्चात एक नमूना भाग मय फार्म नं. 06 की प्रति के आउटर कवर में सील मोहर कर श्रीमान खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, बीकानेर को

न्याय निर्णायक अधिकारी एवम्
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़

जांच हेतु जमा कराया गया। फूड एनालिस्ट पब्लिक हैल्थ लैबोरेट्री से नमूने की जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ ने प्रार्थी (आवेदक) को नमूने की जांच रिपोर्ट क्रमांक 2629 दिनांक 05.07.2023 जिसके अनुसार नमूना जांच Misbranded & Contravention of Regulation Food प्राप्त होने पर अभिहित अधिकारी ने उक्त प्रकरण से संबंधित सभी दस्तावेज अग्रिम कार्यवाही हेतु पेश करने को कहा गया। अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ़ ने विक्रेता को पुनः जांच हेतु पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2023/11973–74 दिनांक 13.07.2023 द्वारा रजिस्टर्ड डाक के द्वारा सूचित किया। नमूना विक्रेता ने नमूने के दूसरे भाग की रैफरल फूड लैब से जांच हेतु निर्धारित अवधि या उसके पश्चाम कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया। आवेदक द्वारा अनुसंधान कार्य पूर्ण होने के बाद समस्त कागजात अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ को वास्ते लिखित अभियोजन स्वीकृति प्रस्तुत किये। अभिहित अधिकारी ने समस्त कागजातों का अवलोकन कर खाद्य सुरक्षा अधिकारी को न्याय निर्णयन आवेदन सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किया गया। इस प्रकरण में अप्रार्थीयान ने Misbranded & Contravention of Regulation खाद्य पदार्थ Fepact Syp. (Impect Remidies) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (2) का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना एफएसएसए 2006 की धारा 52 एवं 58 में वर्णित है। उपलब्ध कागजात के अवलोकन के आधार पर Fepact Syp. (Impect Remidies) विक्रेता एवं मालिक एफएसएसए 2006 की धारा 31 की श्रेणी में आते हैं। इसलिए विक्रेता पर नियमानुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ द्वारा कार्यवाही हेतु निवेदन किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर नियमानुसार दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीयान को विधिवत नोटिस जारी कर अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया। जिसकी पावती संलग्न पत्रावली है।

अभिभाषक अप्रार्थी–1 ने स्वयं उपस्थित होकर कथन किया कि अप्रार्थी द्वारा उक्त पदार्थ अप्रार्थी–2 से क्रय किया था। अप्रार्थी निर्माता नहीं है। अप्रार्थी–2 द्वारा स्वयं उपस्थित होकर कथन किया कि अप्रार्थी द्वारा स्वयं के स्तर पर उक्त पदार्थ में कोई मिलावट नहीं की है। अप्रार्थी द्वारा उक्त पदार्थ अप्रार्थी–3 से क्रय किया था। अप्रार्थी–3 द्वारा स्वयं उपस्थित होकर कथन किया कि Fepact Syp. (Impect Remidies) को लैब रिपोर्ट में मात्र मिसब्राण्डेड माना है। मुताबिक लैब रिपोर्ट ऐसी कोई कमी नहीं पाई गई है जो मानव स्वास्थ्य के लिये हानिकारक हो। अप्रार्थी का प्रतिष्ठान लंबे समय से उच्च गुणवता के उत्पादों का विक्रय करता आ रहा है। आज तक अप्रार्थी के प्रतिष्ठान से किसी पदार्थ में कोई मिलावट नहीं पाई गई है। अतः अप्रार्थी की प्रथम गलती मानते हुये कम से कम जुर्माना लगाने बाबत निवेदन किया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा लैब रिपोर्ट के अनुसार अधिक से अधिक जुर्माना अधिरोपित करने की प्रार्थना की।

हमने उभयपक्षों के कथनों पर गौर किया व पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा अपने कथन के समर्थन में प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों का अप्रार्थीयान द्वारा खण्डन किसी प्रकार का साक्ष्य आधारित नहीं किया गया है और पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों से प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी से निरीक्षण के दौरान क्रय किये गये Fepact Syp. (Impect Remidies) की जांच में Misbranded and Contravention of Regulation की रिपोर्ट आई है। ऐसी स्थिति में हम अन्य साक्ष्यों को तलब करना आवश्यक नहीं समझते हैं और स्पष्ट होता है कि अप्रार्थीयान द्वारा Misbranded & Contravention of Regulation Fepact Syp. (Impect Remidies) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है। अतः अप्रार्थीयान द्वारा अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के सम्बन्ध में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को मध्यनजर रखते हुए अप्रार्थीयान के Misbranded & Contravention of Regulation कृत्य के लिए धारा 52 & 58 के तहत अप्रार्थी–1 पर 5,000/–(अखरे रूपये पांच हजार मात्र), अप्रार्थी–2 पर 5,000/–(अखरे रूपये पांच हजार मात्र) एवं अप्रार्थी–3 पर 10,000/–(अखरे रूपये दस हजार मात्र) एवं इस प्रकार प्रकरण में कुल 20,000/–(अखरे रूपये बीस हजार मात्र) की शास्ति आरोपित की जाकर यह आदेश दिया जाता है कि लगाई गई शास्ति राशि न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ के नाम डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में निर्णय से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद प्राप्त करें। निर्णय की एक–एक प्रति उभय पक्ष को भिजवाई जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 30.06.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

जपर जिला मजिस्ट्रेट हनुमानगढ़

(उम्मेदी लाल मीना)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़